रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सं. 17/2015–2020

फा. सं. 01/94/180/333/एएम 15/पी सी 4.– विदेष व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेषक, विदेष व्यापार परिवर्ती व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, एतद्द्वारा विदेष व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक में संषोधन को अधिसूचित करते हैं। यह संषोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

1.पैरा 1.05 में संशोधन

संषोधित पैरा 1.05 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा

1.05 प्रक्रिया

(क) निर्यातक डी जी एफ टी की वेबसाइट http://dgft.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन को प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। डी जी एफ टी कमी संबंधी पत्र , यदि कोई हो, ऑनलाइन तरीके से अथवा ई–मेल द्वारा जारी करेगा। मैन्युअल तरीके से डी जी एफ टी द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(ख) परिवर्ती व्यवस्था के उपाय के रूप में, निम्नलिखित श्रेणी के आवेदन के लिए निर्यातक जब तक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार न हो जाए अथवा 30 सितम्बर, 2015 तक इनमें से जो भी पहले हो, मैन्युअल रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(i) पैरा 3.19 के तहत ए एन एफ 3 ग में स्तर धारक प्रामणपत्र के लिए आवेदन
(ii) पैरा 4.47 के तहत ए एन एफ 4 च में बंधन छूट के लिए आवेदन
(iii) पैरा 4.49 के तहत ए एन एफ 4 झ में नामित एजेंसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

1. **पैरा 3.19 (क) में संशोधन**

संषोधित पैरा 3.19 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

''स्तर प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए आवेदन

(क) विदेष व्यापार नीति 2009–2014 के तहत आई ई सी धारक को जारी किये गए स्तर प्रमाणपत्र दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक अथवा विदेष व्यापार नीति 2015–20 के तहत ऐसे आई ई सी धारक को स्तर प्रमाणपत्र जारी करने तक वैध रहेंगे, इनमें से जो भी पहले हो।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– आवेदनों को भरने के संबंध में परिवर्ती व्यवस्था को सरल बनाने और स्तर धारक प्रमाण पत्र की वैधता हेतू विदेष व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक के संषोधन को अधिसूचित कर दिया गया है। यह संषोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th June, 2015

No. 17/2015-2020

F. No.01/94/180/333/AM15/PC4.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade, in order to facilitate transitional arrangements, hereby notifies the amendments to Handbook of Procedures of FTP 2015-20. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2015.

1. **Amendment in paragraph 1.05**

Amended paragraph 1.05 shall read as under:-

1.05 Procedure

(a) An exporter shall file his application online on DGFT website at http://dgft.gov.in/. Application will then be processed in accordance with prevalent rules and regulations. The processing of applications will be made online. DGFT shall issue deficiency letters, if any, in online mode or through use of e-mail. No communication shall be issued by DGFT in manual mode.

(b) As a measure of transitional arrangement, exporters may file application manually, till EDI online module is ready or upto 30th September, 2015 whichever is earlier, for the following category of applications:-

(i) Application for Status Holder Certificate in ANF 3C under paragraph 3.19

(ii) Application for bond waiver in ANF 4F under paragraph 4.47

(iii) Application for Nominated Agency Certificate in ANF 4-I under paragraph 4.94.

2. **Amendment in paragraph 3.19 (a)**

Amended paragraph 3.19 (a) shall read as under:-

"3.19 Application for grant of Status Certificate

(a) Status Certificates issued under FTP 2009-14 to an IEC holder shall remain valid till **30th September, 2015** or till the issuance of status certificate to such IEC holder under FTP 2015-20, whichever is earlier."

Effect of this Public Notice: Amendments to the Handbook of Procedures of FTP 2015-2020, have been notified, in order to facilitate transitional arrangements in respect of filing of applications and validity of Status Holder Certificate. These amendments shall be deemed to have come into effect from 1st April, 2015.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.